

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौत**

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

08 <sup>9</sup>/<sub>25</sub>

पत्रावली चैस हुई बार-बार आवाज  
 दिलाने के उपरान्त भी ताम्री एवं उनके  
 अधिकारों उपर नही हुए। इसलिये मुं. नं.  
 7874/20/20 उन्वान रामवीर बनाय प्रसादी  
 ताम्री पर वाबत अस्थायी मिलेयता  
 अरम पैरवी अरम हाजरी में खारिज  
 किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार  
 लेकर वाड तमगील नं. से कम की जाकड  
 मूल दवे के साथ शामिल मिसल रहे।  
 आदेश खुले न्यायालय में  
 सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
 हिण्डौत सिटी (कौली)

10

किस्म की न्यायालय में प्रेषित किया गया  
 प्रारंभिक किस्म। तत्काल किस्म का  
 प्रारंभ कि.....

किस्म की न्यायालय में प्रेषित किया गया  
 प्रारंभिक किस्म। तत्काल किस्म का  
 प्रारंभ कि.....

किस्म की न्यायालय में प्रेषित किया गया  
 प्रारंभिक किस्म। तत्काल किस्म का  
 प्रारंभ कि.....